भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 967
25 जुलाई, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई का प्रभाव

967. श्री ज्ञानेश्वर पाटीलः
श्री संदिपनराव आसाराम भुमरेः
श्रीमती कलाबेन मोहनभाई देलकरः
डॉ. शिवाजी बंडाप्पा कालगेः
डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के प्रभाव का देश भर के ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों, विशेषकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्यक्षेत्र दादरा एवं नगर हवेली में मूल्यांकन किया गया है;
(ख) यदि हाँ, तो महाराष्ट्र, विशेषकर मध्य प्रदेश के छत्रपति संभाजीनगर जिले और दादरा एवं नगर हवेली में उक्त योजना के अंतर्गत लाभार्थियों, सूचीबद्ध अस्पतालों और निपटाए गए दावों की संख्या कितनी है;
(ग) क्या सरकार का विचार महाराष्ट्र और दादरा एवं नगर हवेली में, विशेषकर खराब स्वास्थ्य संकेतकों वाले जिलों में स्वास्थ्यकर्मियों और अवसंरचना की कमी को दूर करने का है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के अंतर्गत महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और दादरा एवं नगर हवेली में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है;
(ङ) क्या सरकार का आयुष्मान भारत-पीएमजेएवाई के अंतर्गत महाराष्ट्र की आदिवासी और ग्रामीण महिलाओं को कुछ विशेष सुविधाएँ प्रदान करने का विचार है; और
(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) सरकार की एक प्रमुख योजना है जो भारत की आबादी के आर्थिक रूप से कमजोर निचले स्तर की 40% आबादी वाले 12 करोड़ परिवारों को मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती हेतु प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, मार्च 2024 में, पात्रता मानदंडों को विस्तारित करके 37 लाख मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशाकर्मी), आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं (एडब्ल्यूडब्ल्यू), आंगनवाड़ी सहायिकाओं (एडब्ल्यूएच) और उनके परिवारों को शामिल किया गया है। हाल ही में, इस योजना का विस्तार करके 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को, जो 4.5 करोड़ परिवारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वय वंदना कार्ड के माध्यम से, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, कवर किया गया है।

यह योजना महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव (डीएनएच-डीडी) में लागू की गई है, जिसमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण क्षेत्र भी शामिल हैं। योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की संख्या, पैनलबद्ध अस्पताल, अस्पताल में भर्ती और निपटान किए गए दावों का विवरण निम्नानुसार है:

	महाराष्ट्र	मध्य प्रदेश	दादरा और नगर हवेली-दमन और दीव
बनाए गए आयुष्मान कार्ड	3.17 करोड़	4.35 करोड़	4.45 करोड़
कुल पैनलबद्ध अस्पताल	1,698	1,118	20
अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की संख्या	33.26 लाख	60.27 लाख	1.5 लाख
भुगतान किए गए दावों की राशि (रु. में)	4,215 करोड़	7,656 करोड़	92.69 करोड़

ज़िला	बनाए गए आयुष्मान कार्ड	कुल पैनलबद्ध अस्पताल	अस्पताल में भर्ती हुए रोगियों की संख्या	भुगतान किए गए दावों की राशि (रु. में)
छत्रपति संभाजी नगर	8.87 लाख	88	2.30 लाख	158 करोड़

(ग): राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य सुविधाकेंद्रों में पर्याप्त मानव संसाधनों की उपलब्धता, वंचित और हाशिए पर रहने वाले समूहों के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य परिचर्या की उपलब्धता और पहुंच में सुधार के लिए सहायता प्रदान करता है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं (पीआईपी) के रूप में प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जन स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करता है। भारत सरकार मानदंडों और उपलब्ध संसाधनों के अनुसार कार्यवाही के रिकॉर्ड (आरओपी) के रूप में प्रस्ताव हेतु अनुमोदन प्रदान करती है।

भारत सरकार द्वारा देश भर के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदायगी के लिए चिकित्सा पेशेवरों को प्रोत्साहन और मानदेय देने जैसी कई पहल की गई है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. ग्रामीण और दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवा करने के लिए विशेषज्ञ डॉक्टरों को दुर्गम क्षेत्र भत्ता।
ii. राज्यों को विशेषज्ञों को आकर्षित करने के लिए बातचीत कर वेतन की पेशकश करने की भी अनुमति है, जिसमें "यू कोट, वी पे" जैसी कार्यनीतियों वाला लचीलापन भी शामिल है।
iii. एनएचएम के अंतर्गत गैर-मौद्रिक प्रोत्साहन जैसे कि दुर्गम क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में अधिमान्य प्रवेश तथा ग्रामीण क्षेत्रों में आवास व्यवस्था में सुधार भी शुरू किया गया है।
iv. एनएचएम के अंतर्गत विशेषज्ञों की कमी को दूर करने के लिए डॉक्टरों के बहु-कौशल को समर्थन प्रदान किया जाता है।

संघ राज्य क्षेत्र दादरा और नगर हवेली में मानव संसाधन हेतु निम्नलिखित निधियां स्वीकृत की गई है:

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत, एनएचएम मानव संसाधन के पारिश्रमिक हेतु, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 31.18 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 32.71 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है। स्वास्थ्य सेवा कर्मचारियों के प्रोत्साहन के लिए भी निधियां अनुमोदित की गई है, जो वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 प्रत्येक के लिए 11.36 लाख रुपये है।
- कार्यवाही रिकॉर्ड (आरओपी) 2024-26 के अंतर्गत बुनियादी ढाँचे के लिए, वित्त वर्ष 2024-25 और वित्त वर्ष 2025-26 प्रत्येक के लिए 3.60 लाख रुपये की निधियां अनुमोदित की गई है।

(घ): स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने और उसे बेहतर बनाने के उद्देश्य से, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (सीएचसी) सहित सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों के लिए राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक (एनक्यूएएस) शुरू किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानक (आईपीएचएस) निर्धारित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य सेवाओं के मानक और गुणवत्ता में सुधार लाना और जन स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की कार्यक्षमता का आकलन करने के लिए एक समान मानदंड प्रदान करना है। इन मानकों में सेवाओं, अवसंरचना, मानव संसाधन, निदान, उपकरण, दवाइयाँ आदि के मानदंड शामिल हैं।

(ङ) और (च): एबी-पीएमजेएवाई 1961 प्रक्रियाओं के अनुरूप 27 विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञताओं में मध्यम और विशिष्ट परिचर्या अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार को 5 लाख रुपये तक की निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता है। इसमें महिलाओं से संबंधित कई पैकेज जैसे उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, महिला विशिष्ट कैंसर, आदि शामिल हैं। बीआईएस 2. 0 के तहत शुरू की गई प्रमुख विशेषताओं में से एक पहचान का ऑफ़लाइन मोड है, जिसे विशेष रूप से खराब या अस्थिर इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्रों की सहायता के लिए तैयार किया गया है।

नामांकन मोबाइल फोन एप्लिकेशन (आयुष्मान ऐप), और वेब पोर्टल (beneficiary.nha.gov.in) या नज़दीकी पैनलबद्ध अस्पताल या कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से भी किया जा सकता है। उपर्युक्त एप्लिकेशन में स्व-पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय टोल-फ्री हेल्पलाइन (14555) लाभार्थियों को उनके प्रश्नों के लिए सहायता प्रदान करती है।

******